कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलुम्बर

प्रार्थी श्रीमती भागवन्ती

विपक्षी सरकार

प्रकरण संख्या 25/2025

कस्म मुकदमा धारा–111, 128 भू–राजस्व अधिनियम

कार्यवाही विवरण

—::निर्णय::—

दिनांक 06/05/25

उपस्थितः श्री राजकुमार जैन–अधिवक्ता प्रार्थीया
भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर उपस्थित।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम का पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया की भूमि मौजा दुदर तहसील सलूम्बर मे स्थित है जिसके खाता संख्या 176 आराजी नम्बर 712 रकबा 0.12 हैक्टेयर है। मौके पर सीमा को लेकर विवाद बना हुआ है। प्रार्थीया पत्थरगढी कराने बाबत शुल्क जमा कराने हेतु तैयार है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी की आराजीयात की भूमि की पत्थरगढी करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने जवाब पेश कर अंकित किया कि प्रार्थीया के आराजीयात की पत्थरगढी की जाती है तो कोई आपत्ति नही है।

पत्रावली मे उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीया की बहस अपने प्रार्थना पत्र अनुसार रही तथा भूमिधारी तहसीलदार सलूम्बर ने बहस मे अपने जवाब में अंकित तथ्यो को दोहराया।

बहस मनन की गई एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया मौजा दुदर पटवार हल्का धारोद तहसील सलूम्बर आराजी नम्बर 712 रकबा 0.12 हैक्टेयर की रेकॉर्डेड खातेदार है। अतः प्रार्थीया अपनी आराजीयात की पत्थरगढी करवाये जाने की अधिकारी पाये जाने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा दुदर पटवार हल्का धारोद तहसील सलूम्बर के आराजी नम्बर 712 रकबा 0.12 हैक्टयर भूमि की राजस्व रेकार्ड अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है।

प्रार्थीया को निर्देशित किया जाता है कि मौके पर पत्थरगढी किये जाने हेतु पत्थर मय मजदूर खडडा करने एवं रोपने के लिये तहसीलदार को उपलब्ध करवाएं। साथ ही भूअभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को पाबंद किया जाता है कि प्रार्थीया से पत्थरगढी शुल्क तहसीलदार, भू.अ.नि. व पटवारी का एक दिन का वेतन मय वाहन खर्च राजकोष में जमा हो। पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये जाकर मौके पर मौतबीरान की उपस्थिति में प्रार्थीया की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी करे। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सलुम्बर के नाम जारी की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर करे।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(परमजीत आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सलुम्बर